(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान अब तक अपराधवार, महीनेवार, राज्यवार ऐसे मामलों की संख्या क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितनी मौतें हुई ;

(ग) क्या इन अत्याचारों के लिए सामाजिक और आर्थिक कारणों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ; और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ; और

(घ) इस प्रकार के अत्याचारों को रोकने और समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख): अनुसूचित जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों की शिकायतों का निपटान कानून के संबंधित उपबंधों के अधीन किया जाता है और ऐसे मामलों में उपयुक्त कार्रवाई करना संबंधित राज्य सरकार की कानून और व्यवस्था संबंधी एजेंसी का काम है। राज्य सरकारों से प्राप्त सांख्यिकीय आंकड़ों का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**अन्यालय में रखा गया। देखिये संख्या** LT 1059/77]

(ग) और (घ) : हालांकि इस बारे में कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया गया है, फिर भी सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार के अपराधों के लिए जिम्मेदार कारणों में जमीने, मजदूरी, फसलों की कटाई के झगड़े, सामाजिक आर्थिक तनाव आदि शामिल है। जबकि कानून के अधीन उपयुक्त कार्रवाई करना राज्य सरकारों का काम है, तो भी केन्द्रीय सरकार इस मामले में राज्य सरकारों से निकट सम्पर्क बनाए रखती है। भूमि सुधार और अनुसूचित जातियों के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए अन्य उपाय शीघ्रता से करने, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनको सभी सम्भव सुरक्षा दी जाए, प्रशासनिक मशीनरी को मजबत करने के बारे में राज्य सरकारों को समय-समय पर विभिन्न सुझाव भेजे गए हैं। इस बारे में प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और मंत्रालय में राज्य मंत्री ने भी राज्य के मुख्य मंत्रियों को अर्धशासकीय पत्र लिखे हैं।

छूआछूत कानूनों का प्रवर्तन

534. **श्री राम लाल राही** :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार का विचार उन अधिकारियों के विरुद्ध जिनके क्षेत्रों में छुआछुत मिटाने हेतु बनें कानून पूरी तरह से लागू नहीं ; कठोर कार्रवाई करने का है ; और (ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाई की जायेगी।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख): 1976 में व्यापक रूप में यथासंशोधित नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 छुआछूत की विभिन्न कार्रवाईयों के लिए दंड निर्धारित करने वाला केन्द्रीय अधिनियम है। इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी मुख्यतया राज्य सरकारों पर है। राज्य सरकारों से इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रभाव पूर्ण ढंगसे प्राथमिकता के आधार पर अमल करने के लिए अनुरोध किया गया है। कुछ राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम को कड़ाई से लागू करने के लिए जिला प्राधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाया गया है।